राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/11 के जयपुर, दिनांकः 31.03.2006

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की (समय–समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/11जी, दिनांक 22.7.2000 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा इसके साथ संलग्न सारणी के स्तंभ सं.1 में विर्निदिष्ट इस राज्य के (पर्यटन परमिटों से भिन्न) संविदा गाड़ी परमिटों, अस्थायी और गैर–अस्थायी दोनों परमिटों पर चलाये जा रहे यानों तथा परमिट के बिना भाड़े या पारिश्रमिक पर चलाये जा रहे यात्री यानों पर विशेष सड़क कर की दर, उसके स्तंभ सं. 2 में प्रत्येक के सामने विर्निदिष्ट दरों पर विहित करती है :–

सारणी

परिवहन यान का वर्णन	विशेष सड़क कर की दर
1. गैर–अस्थायी परमिटों पर चलाये जा रहे तिपहिया मोटर यान–	
(i) 80,000रु. तक की लागत वाले यान	यान की लागत का 0.125% प्रति वर्ष
(ii) 80,000रु. से अधिक की लागत वाले यान	यान की लागत का 0.50% प्रति वर्ष
(iii) 80,000रु. तक की लागत वाले चैसिस	चैसिस की लागत का 0.60% प्रति वर्ष
(iv) 80,000रु. से अधिक की लागत वाले चैसिस	चैसिस की लागत का 0.80% प्रति वर्ष
2. गैर–अस्थायी परमिटों पर चलाये जा रहे चौपहिया मोटर यान–	
(i) ड्राइवर को छोड़कर 4 तक की सीट क्षमता वाले	यान की लागत का 0.80% प्रति वर्ष

(ii)	ड्राइवर को छोड़कर 4 से अधिक किन्तु ड्राइवर को छोड़कर 8 तक की सीट क्षमता वाले	यान की लागत का 1.75% प्रति वर्ष
(iii)	ड्राइवर को छोड़कर 9 तक की सीट क्षमता वाले	यान की लागत का 3.0% प्रति वर्ष
(iv)	ड्राइवर को छोड़कर 9 से अधिक किन्तु ड्राइवर को छोड़कर 13 तक की सीट क्षमता वाले	चैसिस/यान की लागत का 6% प्रति वर्ष
(v)	ड्राइवर को छोड़कर 13 से अधिक और ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 तक की सीट क्षमता वाले	
(क)	चैसिस के रूप में क्रय किये जायें	चैसिस की लागत का 12% प्रति वर्ष
(ख)	सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये जायें	यान की लागत का 9% प्रति वर्ष
(vi)	ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 से अधिक किन्तु ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 30 तक की सीट क्षमता वाले यान	
(क)	चैसिस के रूप में क्रय किये जायें	चैसिस की लागत का 18% प्रति वर्ष
(ख)	सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये जायें	यान की लागत का 12% प्रति वर्ष

(vii) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 30 से अधिक और ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 40 तक की सीट क्षमता वाले (क) चैसिस के रूप में क्रय किये जायें (ख) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये जायें	 चैसिस की लागत का 21% प्रति वर्ष यान की लागत का 16% प्रति वर्ष
(viii) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 40 से अधिक सीट क्षमता वाले (क) चैसिस के रूप में क्रय किये जायें (ख) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किये जायें	 चैसिस की लागत का 24% प्रति वर्ष यान की लागत का 18% प्रति वर्ष
3. अस्थायी परमिटों पर चलने वाले तिपहिया यान	35 रु. प्रतिदिन
4. अस्थायी परमिटों पर चलने वाले चौपहिया यान	
(i) ड्राइवर को छोड़कर 5 तक की सीट क्षमता वाले	40 रु. प्रतिदिन
(ii) ड्राइवर को छोड़कर 5 से अधिक किन्तु ड्राइवर को छोड़कर 12 से अनधिक की सीट क्षमता वाले	80 रु. प्रतिदिन

(iii) ड्राइवर को छोड़कर 12 से अधिक किन्तु ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 से अनधिक की सीट क्षमता वाले	400 रु. प्रतिदिन
(iv) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 से अधिक सीट क्षमता वाले (क) गैर–अस्थायी मंजिली गाड़ी परमिट के अन्तर्गत आने वाले मोटर यानों के लिए (अनन्य रूप से नगरपालिक सीमाओं में चलने वालों से भिन्न)	500 रु. प्रतिदिन
(ख) उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत आने वाले मोटर यानों से भिन्न	800 रु. प्रतिदिन

<u>परन्तु</u> :

(1) मोटर यान कर को सम्मिलित करते हुए विशेष सड़क कर की कुल रकम ड्राइवर को छोड़कर दो तक की सीट क्षमता वाले, ड्राइवर को छोड़कर तीन तक की सीट क्षमता वाले और ड्राइवर को छोड़कर चार तक की सीट क्षमता वाले तिपहिया यानों के मामले में क्रमशः 300/–रु., 600/–रु. और 800/–रु. प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) खण्ड 1 और खण्ड 2 के उपखण्ड (i), (ii), (iii) में यथा–वर्णित यात्री यान यदि परमिट के बिना भाड़े या पारिश्रमिक पर चलते हुए पाये जायें तो ऐसे यान, उसी प्रकार के गैर–अस्थायी संविदा गाड़ी परमिटों के अन्तर्गत आने वाले यानों के लिए यथा–अधिसूचित विशेष सड़क कर का, उस सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें यान भाड़े या पारिश्रमिक पर चलता हुआ पाया गया था, संदाय करने के दायी होंगे परन्तु उन मामलों में जहां यान उसी वित्तीय वर्ष में रजिस्ट्रीकृत है जिसमें वह भाड़े या पारिश्रमिक पर चलता हुआ पाया गया तो बाकी वित्तीय वर्ष का कर आनुपातिक आधार पर रजिस्ट्रीकरण की तारीख से संदेय होगा।

(3) खण्ड 2 के उप–खण्ड (iv),(v), (vi), (vii) और (viii) में ऊपर यथा–वर्णित यात्री यान यदि परमिट के बिना भाड़े या पारिश्रमिक पर चलते हुए पाये जायें तो ऐसे यान, उसी प्रकार के गैर–अस्थायी संविदा गाड़ी परमिटों के अन्तर्गत आने वाले यानों के लिए यथा–अधिसूचित विशेष सड़क कर का, उस सम्पूर्ण कलैण्डर मास के लिए, जिसमें यान भाड़े या पारिश्रमिक पर चलता हुआ पाया गया था, संदाय करने के दायी होंगे।

(4) खण्ड 2 के उप–खण्ड (v), (vi), (vii) और (viii) के अधीन आने वाले मोटर यानों के लिए विशेष सड़क कर की अधिकतम रकम 25,000/–रु. प्रति मास से अधिक नहीं होगी।

(5) खण्ड 2 के उप–खण्ड (v), (vi), (vii) और (viii) के अधीन आने वाले ऐसे मोटर यानों के लिए जो अनन्य रूप से नगरपालिक सीमाओं या नगर सुधार न्यास या दोनों की सीमाओं में चल रहे हैं, विशेष सड़क कर, अधिकतम 12,500/–रु. प्रति मास के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक के सामने स्तम्भ संख्या 2 में यथा–वर्णित दर का 50 प्रतिशत संदेय होगा।

(6) अनन्य रुप से एक जिले के भीतर चल रही विन्टेज कार टैक्सी के लिए विशेष सड़क कर इस प्रकार सीमित किया जायेगा कि मोटर यान और विशेष सड़क कर को सम्मिलित करते हुए कर की कुल रकम 1200/–रु. से अधिक नहीं हो।

टिप्पणीः– इस अधिसूचना के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी भी कालावधि के लिए अधिनियम के अधीन संदेय कोई कर या शास्ति किसी मोटर यान के स्वामी या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति द्वारा संदत्त की जायेगी।

स्पष्टीकरणः– कर की संगणना के लिए यान/चैसिस की लागत वह होगी जो राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के अधीन स्पष्ट की गयी है।

यह अधिसूचना 1.4.2006 से प्रवृत्त होगी।

राज्यपाल के आदेश से।

(हनुवंत सिंह भाटी)
शासन उप सचिव

सं. एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/11 के जयपुर, दिनांकः 31.03.2006

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्राणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 27.03.2006 मे प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात) राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव वित्त राजस्थान, जयपुर।
6. निजि सचिव, परिवहन आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर ।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर ।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ।
13. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र, राजस्थान ।

शासन उप सचिव